विज्ञप्ति

आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड की विज्ञप्ति संख्या 14660/ सात–लाईसेंस नीति–40/आबकारी नीति प्र0–2014–15/देहरादून दिनांक 28.02.2014 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के लिये प्रथम चरण में दिनांक 22.03.2014 तक आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये थे। प्रथम चरण में जनपद की देशी मदिरा दुकान सब्जी मण्डी में कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ था जिसके फलस्वरूप कार्यालय विज्ञप्ति संख्या 854/आबकारी सहायक–व्य0 दिनांक 28.03.2014 के द्वारा द्वितीय चरण हेतु दिनांक 01.04.2014 को सांय 05 बजे तक आवेदन आमन्त्रित किये गये थे । द्वितीय चरण में देशी मदिरा सब्जी मण्डी दुकान के लिये कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ है जिस कारण आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के संशाधित कार्यकमानुसार दिनांक 03.04.2014 को सांय 3.00 बजे तक आवेदन आमन्त्रित किये जाते है जिसके आधार पर दिनांक 03.04.2014 को अपरान्ह 4.00 बजे लाटरी प्रकिया आरम्भ की जायेगी । देशी मदिरा की दुकान सब्जी मण्डी का दिनांक 04.4.2014 से 31.03.2015 तक देय अनुज्ञापन शुल्क एवं एम0जी0डी0 निम्नवत है:–

क0सं0	दुकान का नाम	दुकान संचालन की अवधि	उक्त अवधि हेतु देय अनुज्ञापन शुल्क	उक्त अवधि हेतु देय एम0जी0डी0
1	देशी मदिरा सब्जी मण्डी	04.04.14 से 31.03.15 तक	2101390/–रूपये	39918561/–

अतः उक्त राजस्व पर उपरोक्त अवधि के लिये दुकान संचालित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति दिनांक 03.04.2014 को सांय 3.00 बजे तक जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

ह0–
जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

जिला आबकारी अधिकारी
हरिद्वार

कार्यालय जिलाधिकारी हरिद्वार।

संख्याः 01 /आबकारी सहायक–व्य0 दिनांक :अप्रैल02,2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आबकारी आयुक्त महोदय उत्तराखण्ड देहरादून।

2– अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/नामित अधिकारी हरिद्वार।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपदीय बेबसाईट "*WWW.haridwar.gov.in*" पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।

4– दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला हरिद्वार एवं हिन्दुस्तान हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को सरकारी दर पर न्यूनतम सम्भव स्पेस में दिनांक 03.04.2014 के अंक में प्रकाशित करवाने का कष्ट करे तथा बिल की प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये।

2/4/14

जिला आबकारी अधिकारी,
हरिद्वार।